न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 02 / 2021

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1पतासी देवी पुत्री रामूराम पत्नी रामकरण जाति जाट निवासी खजवाना हाल निवासी बडायली तहसील रियाबडी जिला नागौर।		1तहसीलदार, मुण्डवा।
2रूकमा देवी पुत्र रामूराम पत्नी भीकाराम जाति जाट निवासी खजवाना तहसील मुण्डवा हाल निवासी ढाढरियाकलां तहसील डेगाना।		2तहसीलदार, नागौर।
3राधा पुत्री रामूराम पत्नी चेनाराम जाति जाट निवासी खजवाना तहसील मुण्डवा हाल निवासी रामसिया तहसील व जिला नागौर।		
4सरजू देवी पुत्री रामूराम पत्नी सीताराम जाति जाट निवासी खजवाना तहसील मुण्डवा जिला नागौर बहेसियत खुद व बहेसियत आम मुख्तियार अपीलांट सं. 1 से 3		

उपस्थिति :–

1. श्री कन्हैयालाल सुथार अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 16.07.2021

{1}–अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा मौजा खजवाना के खसरा नं. 60, 61 व 63 का नामान्तरकरण नही भर सनद दिनांक 04.10.99 पर रोक लगाने के आदेश दिनांक 22.06.2000 से असंतुष्ट होकर दिनांक 06.01.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 18.01.2021 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट्स ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांट्स ने अपनी अपील के समर्थन में आदेश दिनांक 22.06.2000 की फोटोप्रति, जोरा के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति, सनद दिनांक 4.10.99 की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत के वारिसान प्रमाण पत्र की फोटोप्रति तथा आम मुख्तियारनामा की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि खेत खसरा नं. 60, 61, 63 सरहद मौजा खजवाना तहसील मुण्डवा की सनद जारी कर हक हस्तान्तरण बहक जोरा पत्नी रामूराम को दिनांक 04.10.99 को कर दिया। ऐसी दशा मे स्व. जोरा इन खेतो की विधिवत खातेदारी हक प्राप्त करने की कानूनी रूप से हकदार हो गई थी। अपीलार्थीगण की माता द्वारा सनद के आधार पर म्यूटेशन की कार्यवाही की थी, मगर वह वृद्व थी तथा वृद्वावस्था मे बीमार रहती थी, ऐसी दशा मे बार बार ऑफिसो के चक्कर लगाने मे असमर्थ थी, आखिर मे दिनांक 14.06.06 को उसका देहान्त हो गया, अपीलार्थीगण को इस कार्यवाही बाबत कोई जानकारी नही रही थी। जोरा का देहान्त 14.06.06 को हो जाने से हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार अपीलार्थीगण इन खेतो के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की हकदार हुई, ऐसी दशा मे अपीलार्थीगण द्वारा इन खेतो के राजस्व रिकार्ड की जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्व रिकार्ड मे आज भी महकमा कस्टोडियन के नाम से दर्ज है एवं म्यूटेशन की कार्यवाही की जांच पडताल करने पर पता चला कि सनद के बाबत तहसीलदार नागौर द्वारा आदेश जैर अपील पारित कर रखा है, जिसकी नकल दिनांक 21.12.20 को प्राप्त होने पर आदेश जैर अपील को पढाकर सुनने से जानकारी हुई, ऐसी दशा मे जानकारी से अंदर मियाद अपील पेश की, ऐसी दशा मे अपील मियाद शुमार मानने योग्य है। आदेश जैर अपील विधि के विरूद्व एवं पूर्ण रूप से बातिल होने से भी समयावधि के प्रावधानो के तहत अपील करने से

अपर कलक्टर, नागौर

समयावधि से बाधित मानने योग्य नही रहता है, ऐसी दशा मे भी अंदर मियाद शुमार योग्य है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि सनद दिनांक 04.10.99 पर रोक लगाने से संबंधित आदेश दिनांक 22.06.2000 के विरूद्व यह अपील दिनांक 06.01.2021 को 20 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है। देरी के कारण भी पर्याप्त नही है। जबकि देरी प्रत्येक दिन की बतायी जानी होती है। इसलिये मियाद के बिन्दु पर भी अपील चलने योग्य नही है। अंतिम बहस शुरू करते हुए वकील अपीलांट्स ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–आदेश जैर अपील तथ्यो व विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है।

{2}(II)–आदेश जैर अपील मे उल्लेख किया है कि जोरा पत्नी रामूराम की मृत्यु हो जाने सनद स्वतः समाप्त हो गई, जो पूर्ण रूप से गलत व विधि विरूद्व है। यह आदेश जैर अपील 22.06.2000 को दिया गया था, जबकि जोरा पत्नी रामूराम का देहान्त दिनांक 14.06.06 को हुआ था। जोरा की मृत्यु का गलत अंकन बिना किसी जांच किये ही कर दिया, ऐसी दशा मे आदेश जैर अपील अपास्त होने योग्य है।

{2}(III)–सनद जारी होने के पश्चात उक्त सम्पति के हक हस्तान्तरण किये जा चुके थे तथा उक्त सनद के तहत हक प्राप्तकर्ता या उसके वारिसान को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपनी मनचाहे तरीके से तहसीलदार नागौर को सनद समाप्त होने का आदेश देने का कोई हक अधिकार नही था, न ही ऐसा करने के लिये वो सक्षम ही थे। क्योकि यह सनद जारी करने का आदेश केन्द्र सरकार के नोटिफिकेशन की पालना मे बाद जांच जारी किया गया था तथा उक्त सनद बएवज कीमत रू. 548.40 प्रतिफल के जमा कराने पर किया गया था, ऐसे हक हस्तान्तरण के दस्तावेज को तहसीलदार को समाप्त होने का कथन का कोई हक अधिकार नही रहा था, न ही ऐसी सनद की पालना मे म्यूटेशन नही भरा जाने का आदेश ही देने का अधिकार तहसीलदार नागौर को रहा था।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व न तो अपीलार्थीगण या उनकी माता जोरा को सुनवाई का अवसर दिया, न ही उक्त आदेश पारित करने से पहले स्व. जोरा या अपीलार्थीगण को कोई नोटिस दिया, ऐसी दशा मे आदेश जैर अपील प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है।

{2}(V)–स्व. जोरा पत्नी स्व. रामूराम जाट निवासी खजवाना के विधिक उतराधिकारी अपीलार्थीगण ही है, अपीलांट्स के अलावा कोई अन्य उतराधिकारी नही है तथा अपीलांट सं. 1 से 3 ने अपना आम मुख्त्यिारनामा के जरिये अपीलांट सं. 4 को यह अपील करने के लिये अधिकृत कर रखा है ऐसी दशा मे यह अपील अपीलांट सं. 4 स्वयं एवं अपीलांट सं. 1 से 3 जरिये आम मुख्त्यिार अपीलांट सं. 4 द्वारा पेश की है।

{2}(VI)–कानूनी ढंग से निरक्रान्त (Evacue Property) सम्पति बएवज कीमत सनद के जरिये हक हस्तान्तरण करके अपीलांट्स की माता जोरा को दे दी गई थी, उसके पश्चात जोरा का देहान्त होने पर उक्त सनद निरस्त या समाप्त होने का कोई कायदा नही है, बल्कि जोरा का देहान्त होने पर उक्त सनद की सम्पति मे जोरा के वारिसान को उतराधिकार के जरिये कानूनी रूप से हक प्राप्त हो गये, ऐसी दशा मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सनद स्वतः समाप्त होने का कथन व नामान्तरकरण भरा जाने पर स्थायी रोक लगाने का आदेश दिया गया है, वह पूर्ण रूप से विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है।

{3}–राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि तहसीलदार द्वारा सनद दिनांक 04.10.99 को जोरा पत्नी रामूराम के नाम जारी की गई। तत्पश्चात जारी किये जाने के उपरांत पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 22.06.2000 को जोरा पत्नी रामूराम दो माह पूर्व मृत्यु हो जाना बताये जाने पर तहसीलदार द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.06.2000 के द्वारा जारी सनद को समाप्त कर दिया गया है। जब सनद का अस्तित्व ही नही है तो उसके रोके जाने से संबंधित अपील स्वतः ही महत्वहीन हो जाती है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि तहसीलदार द्वारा सनद कस्टोडियन नियमो के तहत जारी की गई है। जिसकी अपील इस न्यायालय को नही होकर भू प्रबन्ध आयुक्त को की जानी चाहिये। इसलिये क्षेत्राधिकार के आधार पर भी अपील चलने योग्य नही है।

{4}–उभय पक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार, नागौर द्वारा मौजा खजवाना के खसरा नं. 60, 61 व 63 का नामान्तरकरण नही कर सनद दिनांक 04.10.99 पर रोक लगाने के आदेश दिनांक 22.06.2000 से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपर कलक्टर, नागौर

अपीलांटस द्वारा आदेश जैर अपील के विरूद्व यह अपील 20 वर्ष के पश्चात प्रस्तुत की गई है तथा देरी के बताये गये कारण पर्याप्त नही है। जबकि देरी का प्रत्येक दिन का कारण बताना पडता है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की फर्द अहकाम पर उपलब्ध आदेश दिनांक 22.06.2000 के अनुसार जोरा पत्नी रामूराम के पक्ष मे जारी सनद समाप्त की जा चुकी है तो ऐसी स्थिति मे अस्तित्व विहीन सनद को रोके जाने से संबंधित आदेश मे कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति मे अपील ठोस आधारो पर प्रतीत नही होती है।

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपील मियाद के बिन्दु पर चलने योग्य नही होने एवं ठोस आधार पर नही होने से खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर